

Page 1  
11/09/2016

संज्ञिका 81/15

राष्ट्रिय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (मोप्रो) Amchaur/1

छतरपुर दिनांक 15/02/2016

12

-: आदेश :-

क्रमांक 211 / खनिज / 2016, गे 0 डी.जी. गिनरत्स प्रा.लि., 158 जौन II, प्रेमरी नगर भोपाल द्वारा ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नम्बर 593, 2206, 2207 के खसरा 5000हे0 क्षेत्र पर ग्रेनाइट खनिज पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.10.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन संरक्षक सामान्य वनमण्डल छतरपुर, तहसीलदार लवकुशनगर, प्रमारी खनि निरीक्षक, गानचित्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। प्राचा प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम लवकुशनगर के खसरा नम्बर 593 के रकबा 2.300हे0 ग्रेनाइट खनिज पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु क्षेत्र उपलब्ध पाया गया।

आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

1. खनिज का नाम - ग्रेनाइट
2. अवधि - दो वर्ष
3. नू-परिमाण - शियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
4. खनिज वकाया - अनुबंध निष्पादन के पूर्व आवेदक के ऊपर लॉर्ड खनिज वकाया नहीं होना चाहिए।

6. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषण नियंत्रण मण्डल तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत आवश्यक होने पर वाञ्छित अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7. ग्रेनाइट संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हों तो इस पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

इस नियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हों तो इस पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

स्था प्राधिकारी  
कलेक्टर  
छतरपुर

(कलेक्टर द्वारा स्वीकृत)

स्थापक खनि अधिकारी  
कलेक्टर, छतरपुर (मोप्रो)

मूल अभिलेख से गणकल दीवार को

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म0प्र0)

क्रमांक 1152/खनिज/2017

छतरपुर दिनांक 21/04/2017

-: आदेश :-

आवेदक मे0 डीजी मिनरल्स प्रा.लि., 158 थर्ड फ्लोर जोन 11 एमपी नगर भोपाल (म0प्र0) के पक्ष में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 512/खनिज/2017 दिनांक 04.03.2017 से ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं0 593 के रकबा 2.300हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु अवधि 30 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति जारी की जाकर अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने उपरांत उत्खनि पट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया था।

आवेदक द्वारा दिनांक 07.04.2017 को अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के पूर्ण परीक्षण उपरांत म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियमों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण सम्मति में दर्शाये तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित शर्तों के अनुसार 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

1. आवेदक का नाम :- मे0 डीजी मिनरल्स प्रा.लि. 158 थर्ड फ्लोर जोन 11 एम.पी. नगर भोपाल (म0प्र0)
2. स्वीकृत क्षेत्र :- ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर खसरा नम्बर 593 के रकबा 2.300हे.
3. खनिज का नाम :- ग्रेनाइट
4. उत्खनि पट्टे की अवधि :- 30 वर्ष
5. भू-परिमाण :- थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
6. खनिज वकाया :- अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज वकाया तो नहीं है।
7. ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999 :- इस नियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. भू-प्रवेश :- आवेदक को भू-प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व पर्यावरणीय सम्मति प्रस्तुत करना होगा।

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो उत्खनि पट्टा स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबन्ध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहाँ उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनि पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहत (Revoke) समक्षा जावेगा।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

सहायक खनिज अधिकारी  
जिला कलेक्टर, छतरपुर (म0प्र0)


//2//

पृ० क्रमांक 1152/खनिज/2017  
प्रतिलिपि :-

छतरपुर दिनांक 21/04/2017

1. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म०प्र० भोपाल।
2. वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल छतरपुर।
3. अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर।
4. तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर।
5. खनि निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक (खनिज)/खनि सर्वेयर छतरपुर।
6. मे० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि., 158 थर्ड फ्लोर जोन II एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०)।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहायक खनि अधिकारी  
मन्त्र कलाधर, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)  
राजिवालय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)  
जिला-छतरपुर (मोपड)

Email- modgmcha@mp.gov.in

क्रमांक 1809 / DEIAA / 2017

छतरपुर दिनांक 22/07/2017

प्रति,

मे० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि.  
158 जोन II एम.पी. नगर भोपाल (मोपड)

विषय - प्रकरण क्रमांक 16/2017 ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर की भूमि क्रमांक 593 रकबा 2.300 हे. खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा उत्खनि पट्टा अनुमोदित खनन परियोजना अनुसार उत्पादन क्षमता 2740 घनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस अर्द्धयात्रिकृत विधि द्वारा खुली पत्थर खदान के संबंध में।

-00-

आपके द्वारा "सिया" में प्रस्तुत आवेदन पत्र "डिया" का स्थानांतरित किया गया है। पूर्व पर्यावरणीय अनुमति हेतु उपरोक्त विधायक के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के प्रस्ताव पर ई.आई.ए. (EIA) अधिसूचना 2006 संशोधित 15 जनवरी 2016 की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों फार्म एम-1, संलग्नक-1, माइनिंग प्लान का अवलोकन डेक (DEAC) एवं डिया (DEIAA) द्वारा किया गया। डेक (DEAC) का मूल्यांकन किया गया है। डिया (DEIAA) की पूर्ति उपरोक्त प्रकरण डिया (DEIAA) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा डिया (DEIAA) द्वारा यह पाया गया कि :-

- (I) प्रस्तावित खनन क्षेत्र (स्थल) से 10 कि०मी० की परिधी में कोई भी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, घोषित जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र से 500 मीटर की परिधी में कोई मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्था, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय स्मारक, नदी तालाब नहर नहीं है, जंगल स्थल से निकटतम वन सीमा की दूरी 250 मीटर से अधिक है।
- (II) प्रस्तावित खदान की खनन परियोजना अनुसार वार्षिक उत्पादन क्षमता 2740 घनमीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है। खनन कार्य मानव श्रमिकों द्वारा ओपन कार्टर यंत्रिकृत अर्द्धविधि द्वारा ही किया जावेगा।
- (III) यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ई.आई.ए. (EIA) नोटिफिकेशन अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर इस प्रकरण पर विचार किया गया है।
- (VI) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर DEIAA द्वारा निम्नित ऑफ मीटिंग क्रमांक 8 दिनांक 20.07.2017 में एवं DEAC की बैठक दिनांक 04.07.2017 को दिये गये प्रस्तावों को स्वीकार किया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

इसलिये पूर्व पर्यावरणीय अनुमति खसरा नं० 593 रकबा 2.300 हे. में 2740/वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर को खनिज ग्रेनाईट खदान (खली सात्रिकल विधि) के लिए गे० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि. 158 जे० ॥ एम.पी. नगर भाषाल (गोप्र०) का DEAC एवं DEIAA द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है।

**विशेष शर्त :-**

1. पी.पी. (पट्टेधारी) पट्टा अनुबंध के निष्पादन से पहले खनन गतिविधि शुरू नहीं करेगा।
2. खनन कार्य अनुमोदित माइनिंग प्लान तथा गोप्र० गैंग नियम विवरण के नियम 30 की शर्तों के अनुसार ही किया जावेगा।
3. खनन गतिविधि प्रारंभ करने के पहले वन एवं राजस्व तथा खनिज अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल का सीमांकन किया जावेगा।
4. खनन के उपरांत प्रस्तुत किये गये अनुमोदित माईन वेलोजर प्लान के अनुसार ही खदान को बंद किया जावेगा।
5. पी.पी. (पट्टेदार) के द्वारा डिया एच डेक में प्रस्तुतकरण के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में यदि कोई विसंगतियां भविष्य में पाई जाती है, तो उसके लिए पी.पी. उत्तरदायी होंगे।
6. खनिज का परिवहन बंद/तिरपाल से ढके हुए वाहनों में किया जायेगा।
7. गोप्र० प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से आवश्यक जल एवं वायु सम्मति, अनुमतियां लेनी होंगी। बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा।
8. लीज एरिया का परीसीमन उपर्युक्त साधनों से पट्टेदार द्वारा किया जावेगा।
9. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित वृक्षारोपण करना पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। पट्टेदार वृक्षारोपण अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार करेगे अथवा डिया एवं डेक के निर्देशानुसार खनन के दौरान वृक्षारोपण करना होगा तथा पाँच वर्षों तक इन वृक्षों की देखभाल करनी होगी। इस दौरान यदि कोई पड़ नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः रोपित करना होगा।
10. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा।
11. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान हेतु आवश्यक गतिविधि पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु संबंधी ग्राम पंचायत की सहमति से व्यय करने होंगे।
12. पी.पी. इतनी पर्याप्त सावधानियां प्रतीगा कि खनन कार्य के दौरान खनिज और जीवों के लिए नुकसान न पहुँचाया जावे।
13. पर्यावरण अनुमति की वैधता ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधान के अनुसार होगी। इस परियोजना में यदि कोई अतिरिक्त विस्तार /परिवर्तन

किया जावेगा तो उसके लिये पुनः पर्यावरणीय अनुमति नये तरीके से ली जावेगी।

14. स्वीकृत क्षेत्र के चारों तरफ तार-फेसिंग लगाये जाने उपरांत खनन कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

**सामान्य शर्तें :-**

1. नियंत्रित ब्लॉस्टिंग तकनीकी वैधानिक अनुमति प्राप्त ब्लास्टर से अथवा वैधानिक अनुमति प्राप्त कर जब जैसी आवश्यक हो, केवल दिन के समय में किया जायेगा। ब्लॉस्टिंग से संबंधित बारूद, डिटोनेटर या अन्य सामग्री लीज क्षेत्र में संचारित नहीं किया जायेगा।
2. खनन कार्य केवल अनुमोदित माइनिंग प्लान के आधार पर किया जावेगा।
3. प्रभावी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों जैसे जटिल (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा और भारी वाहनों में खनिज का परिवहन करने हेतु सुरक्षित रूप से किया जावेगा।
4. लीज ऐरिया में खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के पूर्व खनन क्षेत्र की सीमांकन खनिज एवं राजस्व विभाग के अगले द्वारा कराया जावेगा।
5. पट्टेधारक को उक्त परियोजना की खनन संक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग एवं अन्य विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्रीय खान सुरक्षा कार्यालय से भी नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
6. पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं बनाया जावेगा।
7. पट्टेधारी द्वारा नजदीक की वस्तुओं से खनन गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए विशेष उपाय किये जायेंगे। खनिज के परिवहन के समय, नियमित रूप से सड़कों का रख-रखाव किया जायेगा।
8. खनन कार्य के फलस्वरूप होने वाले मिट्टी का कटाव तथा उसके संचालन एवं क्षरण के प्रबंधन के नियंत्रण के लिए समस्त उपाय किया जायेगा।
9. पट्टेधारी की जिम्मेदारी होगी कि खनन क्षेत्र के चारों तरफ गार्लेण्ड ड्रेनेज (नाली) का निर्माण करना होगा, ताकि खनिज क्षेत्र की मिट्टी के कटाव व बहाव से आस-पास के जलीय निकाय में जाने से रोका जा सके।
10. पट्टेधारी को खदान क्षेत्र, कचरे के ढेर, वाहनों के पार्किंग स्थानों के आस-पास आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा।

11. खनन के दौरान ऊपरी सतह की मिट्टी एवं अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित कर उसका उपयोग बाद में खनन की समाप्ति पर गड़द के भराव में किया जावेगा।
12. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसूचित क्षेत्र में पर्यावरण सुनिश्चित किया जावेगा। वनस्थिति के स्वजाविका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लीज क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं काटे जावेगें और यदि आवश्यक हुआ तो इसकी पूर्व अनुमति समक्ष प्राधिकारी से ली जानी होगी।
13. खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त कवर से ढककर किया जावेगा। ताकि जलवायु के कारण पर्यावरण को प्रभावित न हो सके।
14. पट्टेधारी द्वारा खनन कर्मचारियों के लिए उचित आवास तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
16. पट्टेधारी द्वारा धूल क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुस्वास्थ्य रखने उपकरण जैसे मास्क, जूते आदि उपलब्ध करायेगा और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण सुरक्षा को जानकारी आर स्वास्थ्य के पहलुओं को जागरूक करेगा।
17. पट्टेधारी द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा के लिये स्थल पर औषधालय सुविधाएं उपलब्ध कराया जायेगा।
18. पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण मजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अलावा स्थानीय विकास अधिकारियों को भी प्रेषित किया जावेगा।
19. पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन एवं बदलाव समय-समय पर किया जा सकेगा।
20. पट्टेधारी द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी शर्तों के पालन में विफल हान पर पर्यावरण मजूरी समाप्त कर दी जावेगी तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
21. DEIAA द्वारा दी गई पूर्व पर्यावरण अनुमति के आदेश के निरस्तगी के विरुद्ध अपील 30 दिवस के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 की धारा 16 के अंतर्गत की जा सकेगी।
22. DEIAA एवं DEAC की प्रक्रिया का शुल्क निर्धारण अंग्रेजी संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं किया गया है। नवविषय में उक्त प्रक्रिया का जो भी शुल्क निर्धारण

किया जावेगा। उसे 7 दिवस के अंदर पट्टेधारी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।


23. पट्टेधारी को डिया, डेक द्वारा निर्देशित पर्यावरण सुरक्षा के लिए किये गये उपाये एवं शर्तों के पालन में त्रैमासिक रिपोर्ट की प्रति डिया छतरपुर तथा MOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जायेगी।
24. पट्टेदार द्वारा प्रति हेमटेयर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जावे एवं पाँच वर्ष तक उनका रख-रखाव किया जावे।
25. वृक्षारोपण की योजना वन विभाग के स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी से सलाह लेकर वृक्षारोपण करें।  
आदेश में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित अनियमितता प्राये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात  
निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)  
जिला छतरपुर (MOPRO)  
छतरपुर, दिनांक 22/07/17

1809  
पृ.क्र. .... / DEIAA / 2017  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मन्त्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सागर सभाग, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश, पर्यावरण समाघात प्राधिकरण पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ दिनांक 14/07/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, भौतिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, सिंचाई विभाग एवं अध्यक्ष DEIAC, जिला छतरपुर को ओर सूचनार्थ।

8. वरिष्ठतम् उप प्रभागीय अधिकारी (वन) एवं सदस्य DEAC, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा), जिला छतरपुर एवं जियोलोजी विभाग के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर/नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
11. यंत्री, यामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, जिला पंचायत एवं सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, छतरपुर एवं सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
12. वरिष्ठतम् सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग छतरपुर एवं सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।

  
 सदस्य सचिव  
 जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन  
 निर्धारण प्राधिकरण, (DIAA)  
 जिला-छतरपुर (म.प्र.)



**Consent Order**

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clony  
SAGAR  
SAGAR  
Tele : 07582- 263774

RED-SMALL	CCA-Renewal	VALIDITY (A/W): 14.05.2022	CONSENT NO: ***	PCB ID: 112752
-----------	-------------	----------------------------	-----------------	----------------

To,

The Occupier,

**Dg Minerals Pvt. Ltd, Mining Unit (2.300 Hact.),**  
Khasra No. 593, Area- 2.300 Hact.,  
Vill- Lavkushnagar, Teh- Lavkushnagar, Distt- Chhatarpur,

**Subject:** Grant of Consent renewal under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 71 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981.

**Ref:** Your Consent renewal Application Receipt No. 757191 Dt. 22/01/2019.

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **14.05.2022**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

**SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-**

- a. Location: Khasra No. 593, Area- 2.300 Hact., Vill- Lavkushnagar, Teh- Lavkushnagar, Distt- Chhatarpur
- b. Lease Valid Up To: 14.05.2047
- c. Product & Production Capacity:

Product	CCA Qty
Mining of Granite Block	2740 M <sup>3</sup> /Y ( Two Thousand Seven Hundred Forty Cubic Meter Per Year)

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to **14.05.2022** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

**Enclosures:-**

- \* Conditions under Water Act
- \* Conditions under Air Act
  
- \* General conditions

*Signature*  
Digitally signed with Aadhaar

e-Signed On 26/02/2019 09:55:39  
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)  
TPAV # 2JGBS9XHHS

*Signature*  
**VIRENDRA SAHAI RAI**  
Regional Officer



**Consent Order**

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clny  
SAGAR  
SAGAR  
Tele : 07582- 263774

**CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-**

1. The daily quantity of sewage shall not exceed 0.200 KL/day

**2. Trade Effluent Treatment:-**

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	6.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	50 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
Fecal Coliform	Not exceed	1000MPN/100mg.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 1.500	WWG : 0.200	Water Source	Remark
1	Spray in Mines	1.000	0.500	Tankers	

4. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

5. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

6. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

**7. Compilation of Monitoring-**

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

**8. Recording of Monitoring-**

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis



- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

**9. Reporting of Monitoring Results:-**

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

**10. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-**

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

**11. Limitation of visible floating solids and foam:**

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

**12. Disposal of Collected Solid-**

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazd & other waste Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

**13. Provision for Electric Power Failure-**

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

**14. Prohibition of By pass system-**

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

15. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

**Additional Water condition:- (if any) :-**



**CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-**

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
  - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m<sup>3</sup> (PM10 µg/m<sup>3</sup> 24 hrs. basis)
  - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m<sup>3</sup> (PM2.5 µg/m<sup>3</sup> 24 hrs. basis)
  - c. Sulphur Dioxide [SO<sub>2</sub>] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m<sup>3</sup>
  - d. Nitrogen Oxides [NO<sub>x</sub>] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m<sup>3</sup>
  - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m<sup>3</sup>
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
8. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation atleast in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 4X4 meter within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in additional condition

**Additional Air condition:- (if any) :-**

1. Extensive tree plantation shall be done on both side of Mineral transportation roads, haul roads and around open mining lease area. The tree plantation shall be carried out in phase manner preferably with local species. Good house keeping practice shall be adopted by the Mine.
2. The mine management shall stack the over burden at earmarked dump site(s) only. The Over Burden dumps shall be backfilled and scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface runoff.
3. PP shall ensure compliance of conditions mentioned in EC Letter
4. Water shall be sprinkled on kachecha road.
5. PP shall ensure fencing of the mine area.
6. All approach road/internal road should be made pucca.
7. Only wet drilling shall be done.



**GENERAL CONDITIONS:**

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

**Non Hazardous Solid wastes:-**

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

- Violation of any terms and conditions of this Consent.
- Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
- A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

**Additional condition:- (if any) :-**

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.



CONSENT ORDER

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board City  
SAGAR  
SAGAR  
Tele : 07582- 263774

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( Regional Officer )

 eSign  
Digitally signed with Aadhaar

e-Signed On 26/02/2019 09:55:39  
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)  
TPAV # 2JGBS9XHH8



VIRENDRA SAHAI RAI  
Regional Officer

**कार्यालय नगर परिषद लवकुश नगर,**  
**जिला-छतरपुर (म०प्र०)**

**परिषद की साधारण बैठक कार्यवाही दिनांक 30.07.2016**

<p><b>प्रस्ताव क्रमांक-23</b> ग्रेनाईट खनन कार्य खसरा नं. 593,2206,2207 के रकबा 5.00 हेक्टर पर खनन अनुज्ञप्ति हेतु अभिमत बाबत विचार।</p>	<p>प्रकरण प्रस्तुत हुआ अवलोकन किया गया। कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1339 /खनिज/2015 दिनांक 31.10.2015 के द्वारा आवेदक मे.डी. जी.मिनरल प्रा.लि.,158 प्लोन-2 एम.पी.नगर भोपाल द्वारा लवकुश नगर के खसरा नं.593,2206,2207 के रकबा 5.00 हेक्टर क्षेत्र पर पूर्णरूप अनुज्ञप्ति खनिज ग्रेनाईट हेतु विकास का अभिमत प्राप्त गया है। परिषद सर्व सम्मति से नगर के खसरा क्रमांक 593,2206,2207 में प्रस्तावित ग्रेनाईट खनिज अनुज्ञप्ति जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुज्ञप्ति प्रतियोगिता करिष कार्यालय को भेजा जाये। इसतःसर राही अध्यक्ष नगर परिषद, लवकुश नगर</p>
--	---

**सत्य प्रतिलिपि**

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद लवकुश नगर  
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

**DG MINERALS PVT. LTD.**

  
Authorised Signatory



MP Forest  
Department

कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म.प्र.  
जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎ 07682-245316 (O.), 245316 (Fax)  
E-mail: [dfochhatarpur@mpforest.org](mailto:dfochhatarpur@mpforest.org)

क्रमांक/मा.वि./2015/2662  
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 25/12/15

कलेक्टर, खनिज शाखा,  
जिला छतरपुर म0प्र0

विषय :- ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं. 593 के रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन क्रमांक 80 दिनांक 03.10.2015 के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिमत दिये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./1337/खनिज दिनांक 31.10.2015

—00—

संदर्भित पत्र से आवेदक मे. डी.जी. मिनरल्स प्रा0लि0, 158 जे0न-2 एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं. 593 के रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन के संबंध में इस कार्यालय से प्रतिवेदन अभिमत प्राप्त है।

वन परिक्षेत्राधिकारी लवकुशनगर द्वारा मौका निरीक्षण कराकर पत्र क्रमांक/910 दिनांक 19.12.2015 से उप वन मंडलाधिकारी छतरपुर के पत्र क्रमांक/1282 दिनांक 30.12.2015 से दिए प्रतिवेदन के आधार पर विद्वार जानकारी निम्न है :-

क्र.	निर्धारित बिंदु	जानकारी विवरण (यदि हां तो संपूर्ण विवरण दें)
1	आवेदित क्षेत्र वन भूमि तो नहीं है।	आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है।
2	यदि आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है, तो आवेदित क्षेत्र से वन भूमि वन सीमा कितनी दूरी पर है।	आवेदित क्षेत्र वन सीमांतगत नहीं है तथा वन कक्ष क्रमांक पी 705 से 725 मीटर की दूरी पर है। स्थल के जियो-कोऑर्डिनेट्स निम्न है :- 25°08'36.7" N, 79°59'43.6" E, 25°08'38.3" N, 79°59'44.4" E 25°08'38.6" N, 79°59'43.3" E, 25°08'39.7" N, 79°59'45.0" E
3	आवेदित क्षेत्र यदि वन भूमि है तो कंपार्टमेंट की जानकारी एवं वन भूमि का प्रकार क्या है।	आवेदित क्षेत्र वन भूमि न होने से आवश्यक नहीं है।
4	आवेदित क्षेत्र यदि वन भूमि से 250 मीटर की दूरी के अंतर्गत है तो आवेदित क्षेत्र स्वीकृत किए जाने/नहीं किए जाने संबंधी स्पष्ट अभिमत दें, कि प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष भेजे जाने योग्य है/अथवा नहीं।	आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है। निकटतम वन सीमा से दूरी 225 मीटर है।
5	आवेदित क्षेत्र में खनि रियायत स्वीकृत किए जाने पर आपत्ति/अनापत्ति संबंधी स्पष्ट अभिमत प्रदान करें।	उपरोक्त बिंदु क्र-1 से 4 के अनुसार अनुज्ञप्ति। म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक/16-10-सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव बनेगा।

आवेदित क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व की बकर सीमा से 31 कि.मी. की दूरी पर, केन घड़ियाल अभयारण्य की सीमा से 20.5 कि.मी. की दूरी पर तथा पन्ना बायोस्फियर रिजर्व सीमा से 18.5 कि.मी. की दूरी पर एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगभग 13.1 कि.मी. की दूरी पर है।

वन संरक्षक

सा. वन मंडल छतरपुर म0प्र0


पू.क्रमांक/मा.वि./2015/

प्रतिलिपि :- उप वन मंडलाधिकारी, छतरपुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, लवकुशनगर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। स्वीकृति मिलने के पश्चात कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रकरण में दी गई जानकारी के अनुसार उसी क्षेत्र में स्वीकृति हुई है। विसंगति पाये जाने पर तुरंत संबंधित को सूचित करें।

वन संरक्षक

सा. वन मंडल छतरपुर म0प्र0





1882/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 27.07.2017 के द्वारा मौजा लदकुशनगर की भूमि खसरा नं० 593 में से एकवा 2.300 हे० एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर म०प्र० के आदेश क्रमांक 1882/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मौजा लदकुशनगर की भूमि खसरा नं० 593 में से एकवा 3.450 हे० क्षेत्रफल पर खनिज ग्रेनाइट हेतु शेष अवधि दिनांक 14.05.2047 तक के लिये म०प्र० गीन नियम 1998 के नियमों एवं समय समय पर जारी निर्देशों एवं संसोधित नियमों तथा अन्य नियमों एवं स्वीकृत आदेश तथा अनुबंध पत्र की निहित शर्तों का पालन करने के शर्त पर म०प्र०शा० संहिता 1959 की धारा 247(5) के तहत भू० प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है ।

पटवारी से मौका पंघनामा सहित प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.02.2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक द्वारा ग्रेनाइट पत्थर उत्खनन के लिये जो पहाड़ी क्षेत्र की साफ सफाई कर रास्ता मार्ग बनाया जा रहा है उस दौरान भीके पर कोई भी जंगली जानवर बन्दर व पशु पक्षी मृत्य नहीं हुये है एवं हिंगलाज माता का स्थान उत्खनि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर होकर इसमें कोई नुकसानी नहीं हुआ है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की साफ सफाई एवं रास्ता निर्माण के दौरान कुछ झाड़ी झंखार जैसे कचई व पलास, चिल्ला रिन्झा, सूयबूल आदि की झाड़ियों नष्ट हुई है । जो भीके पर पड़ी हुई है । पटवारी ने भीके पर 362 नग झाड़ी झंखार की उबत जलाऊ लकड़ी भीके से जपती में ली जाकर कंपनी मैनेजर श्री विनय गीतम को सुपुर्दगी में दी गई है । जिस संबंध में अनावेदक के विरुद्ध पुचक से कार्यवाही प्रचलन में ली जा रही है । लेकिन अनावेदक द्वारा उत्खनि क्षेत्र में किये जा रहे कार्य के दौरान कोई वृक्ष, बड़ा पेड़ नष्ट नहीं हुआ है । तथा भीके पर आम, जामुन, इमली के फलदार पेड़ एवं सागौन, महुआ आदि इमारती लकड़ी के कोई पेड़ मौजूद नहीं है । बम्बरदेनी माता का मंदिर उक्त स्वीकृत उत्खनन क्षेत्र से करीब 1 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । जो उत्खनि कार्य से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है । बम्बरदेनी माता मंदिर से आमजन की भावनाये जुड़ी होकर यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा । जिस

नकल मैनेजर की भू०  
19/2/18

13  
P-7-03  
मिलानु क्रिया  
19/2/18

सत्य प्रतिलिपि

02

19/2/18



संबंध में स्थानीय लोगों को अवगत करा दिया गया है ।  
 उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनावेदक के नाम से ग्रेनाइट खनिज का उत्खनि पट्टा स्वीकृत हुआ होकर आवेदित क्षेत्र में अनावेदक को राज्य शासन द्वारा भू प्रवेश की विधिवत् अनुमति प्रदाय की गई है । तथा क्षेत्रीय अधिकारी MOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा पर्यावरण की स्वीकृति प्रदान की गई होकर उत्खनि क्षेत्र में कोई जंगली जानवर बन्दर पशु पक्षी को नुकसानी नहीं हुई होकर हिगलाज माता के मंदिर को भी नुकसानी नहीं हुई है तथा ग्रेनाइट पत्थर उत्खनि का कार्य बंद होने से राज्य शासन को राजस्व की हानि हो रही है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2018 को स्थिर रखा जाना उचित नहीं है ।

अतः अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2018 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 58/ प्रवा.तह./2018 दिनांक 02.02.2018 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है । तथा झाड़ झंखार नष्ट किये जाने के संबंध में प्रकरण अनावेदक जवाब हेतु नियत किया जाता है ।

*Verbal*  
 22-2-18  
*P.S.*

*NO. 52*  
 22/2/2018

*C.F.*  
 22-2-2018

16-2-2018  
 तहसीलदार  
 0000 लखनपुर  
 तहसील लखनपुर, हरियाणा

*गडकल तेंकरा श्री गुरु*  
*19/2/18*

*मि. जगदीश*  
*19/2/18*

सत्य प्रतिलिपि  
 प्रतिलिपिकार  
 30 लखनपुर, हरियाणा

OA  
149/17

Mine-2

पंजी 50/10

(13)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म0प्र0)

छतरपुर दिनांक 15/02/2016

आदेश :-

Annexure P/2




क्रमांक 212 / खनिज / 2016, मे0 डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि., 158 जोन II, नगर भोपाल द्वारा ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नम्बर 593 के रकबा 3.450 हे0 क्षेत्र पर ग्रेनाइट खनिज पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ता करने हेतु दिनांक 03.10.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन संरक्षक सामान्य वनमण्डल छतरपुर, तहसीलदार लवकुशनगर, प्रभारी खनि निरीक्षक, मानचित्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम लवकुशनगर के खसरा नम्बर 593 के रकबा 3.450 हे0 ग्रेनाइट खनिज पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु क्षेत्र उपलब्ध पाया गया।

आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

1. खनिज का नाम :- ग्रेनाइट
2. अवधि :- दो वर्ष
3. भू-परिमाण :- थिगोडोलाइड सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
4. खनिज बकाया :- अनुबंध निष्पादन के पूर्व आवेदक के ऊपर कोई खनिज बकाया नहीं होना चाहिए।
5. प्रदूषण/पर्यावरण :- भू-प्रवेश की अनुमति के पूर्व अधिनियम/नियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत आवश्यक होने पर वांछित अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
6. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत :- यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।
7. ग्रेनाइट संरक्षण एवं नियम 1999 :- इस नियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यदि आवेदक/को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हों तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति दिनांक से 1 माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुए नियमों के अधीन पंजीयन कारवाया होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति का यह आदेश प्रतिरहित (Revoke) समझा जावेगा।



सत्य प्रमाणित (कलेक्टर द्वारा स्वीकृत)

3/2/16

Handwritten signature and date 15/02/2016



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म०प्र०)

क्रमांक 1154 / खनिज / 2017

छतरपुर दिनांक 21/04/2017

-: आदेश :-

आवेदक मे० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि., 158 थर्ड फ्लोर जोन ॥ एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०) के पक्ष में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 513 / खनिज / 2017 दिनांक 04.03.2017 से ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं० 593 के रकबा 3.450 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु अवधि 30 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति जारी की जाकर अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने उपरांत उत्खनि पट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया था।


आवेदक द्वारा दिनांक 07.04.2017 को अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के पूर्ण परीक्षण उपरांत म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियमों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण सम्मति में दर्शाये तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित शर्तों के अनुसार 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

1. आवेदक का नाम :- मे० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि., 158 थर्ड फ्लोर जोन ॥ एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०)
2. स्वीकृत क्षेत्र :- ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर खसरा नम्बर 593 के रकबा 3.450 हे.
3. खनिज का नाम :- ग्रेनाइट
4. उत्खनि पट्टे की अवधि :- 30 वर्ष
5. भू-परिमाण :- थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
6. खनिज वकाया :- अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज वकाया तो नहीं है।
7. ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999 :- इस नियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. भू-प्रवेश :- आवेदक को भू-प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व पर्यावरणीय सम्मति प्रस्तुत करना होगी।

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो उत्खनि पट्टा स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहाँ उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनि पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहत (Revoke) समझा जावेगा।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

  
सहायक खनिज अधिकारी

//2//


पृ० क्रमांक 1154 / खनिज / 2017

छतरपुर दिनांक 21 / 04 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म०प्र० भोपाल।
2. वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल छतरपुर।
3. अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर।
4. तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर।
5. खनि निरीक्षक / राजस्व निरीक्षक (खनिज) / खनि सर्वेयर छतरपुर।
6. मे० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि., 158 थर्ड फ्लोर जोन II एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०)।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहायक खनि अधिकारी  
वीरसे कलेक्टर, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)  
सचिवालय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (DEIAA)  
जिला-छतरपुर (मोप०)  
Email- modgmeha@mp.gov.in

क्रमांक 1808 / DEIAA / 2017  
प्रति,

मै० डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि.  
158 जोन II एम.पी. नगर भोपाल

विषय - प्रकरण क्रमांक 15/2017 ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर की भूमि क्रमांक 593 रकबा 3.450 हे. सन्निहित गेनाइल खनिज उत्खानि पट्टा अनुमोदित खनन परियोजना अनुसार उत्पादन क्षमता 2680 टनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस अदम्ययांत्रिकृत विधि द्वारा खुली पत्थर खदान के संबंध में।

-00-

आपके द्वारा 'सिया' में प्रस्तुत आवेदन पत्र 'डिया' को स्थानांतरित किया गया है। पूर्व पर्यावरणीय अनुमति हेतु उपरोक्त विषयार्थित के संका में पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के प्रस्ताव पर ई.आई.ए. (EIA) अधिसूचना 2006 संख्या 15 दिनांक 2016 की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों फॉर्म एम-1, संलग्नक-1, माइनिंग प्लान का अवलोकन डेक (DEAC) एवं डिया (DEIAA) द्वारा किया गया। डेक (DEAC) द्वारा चाहे गये अतिरिक्त स्पाष्टीकरण की पूर्ति उपरोक्त प्रकरण डिया (DEIAA) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा डिया (DEIAA) द्वारा यह पाया गया कि -

- (I) प्रस्तावित खनन क्षेत्र (स्थल) से 10 कि०मी० की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, घोषित जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में कोई मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्था, चिकित्सालय, पुरातत्व नरोहर, राष्ट्रीय स्मारक, नदी तालाब नहर नहीं है, खनन स्थल से निकटतम वन सीमा की दूरी 250 मीटर से अधिक है।
- (II) प्रस्तावित खदान की खनन परियोजना अनुसार वार्षिक उत्पादन क्षमता 2680 टनमीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है। खनन कार्य ओपन कास्ट यंत्रिकृत अर्द्धविधि द्वारा ही किया जावेगा।
- (III) यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ई.आई.ए. (EIA) नोटिफिकेशन अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर इस प्रकरण पर विचार किया गया।
- (VI) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर DEIAA द्वारा मिनट ऑफ मीटिंग क्रमांक 8 दिनांक 04.07.2017 में प्रस्तावों को स्वीकार किया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

इसलिये पूर्व पर्यावरणीय अनुमति खसरा नं० 593 रकबा 3.450 हे. में 2680/वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर को खनिज ग्रेनाइट खदान (खुली यांत्रिकृत विधि) के लिए में 0 डी.जी. निगरल्स प्रा.लि. 158 जोन II एम.पी. नगर भोपाल को DEAC एवं DEIAA द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है:-

**विशेष शर्तें :-**

1. पी.पी. (पट्टेधारी) पट्टा अनुबंध के निष्पादन से पहले खनन गतिविधि शुरू नहीं करेगा।
2. खनन कार्य अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा MOPRO गीण खनिज नियम 1996 के नियम 30 की शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. खनन गतिविधि प्रारंभ करने के पहले खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल का सीमांकन किया जायेगा।
4. खनन के उपरान्त प्रस्तुत किये गये अनुमोदित माईन वलोजर प्लान के अनुसार ही खदान को बंद किया जायेगा।
5. पी.पी. (पट्टेदार) के द्वारा डिया एवं डेक में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में यदि कोई किसंगतियम भविष्य में पाई जाती है तो उसके लिए पी.पी. उत्तरदायी होगे।
6. खनिज का परिवहन बंद/तिरपाल से ढके हुए वाहनों में किया जायेगा।
7. MOPRO प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से आवश्यक जल एवं वायु सन्मति, अनुमतियां लेनी होंगी। बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा।
8. लीज एरिया का परीक्षीयन समर्पुक्त तावेगी स मएडवार द्विनि लेखा जायिका।
9. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित वृक्षारोपण करना पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। पट्टेदार वृक्षारोपण अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार करेगें अथवा डिया एवं डेक के निर्देशानुसार खनन के दौरान वृक्षारोपण करना होगा तथा पाँच वर्षों तक इन वृक्षों की देखभाल करनी होगी। इस दौरान यदि कोई पेड़ नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः रोपित करना होगा।
10. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।
11. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान हेतु आवश्यक गतिविधि पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु संबंधी ग्राम पंचायत की सहमति से व्यव करने होंगे।
12. पी.पी. इतनी पर्याप्त सावधानियां बर्तेगा कि खनन कार्य के दौरान वनस्पति और जीवों के लिए नुकसान न पहुँचाया जावे।
13. पर्यावरण अनुमति की पैवता ई.आई.ए. माहटापकयान 2006 के प्रावधानों के अनुसार होगी। इस परियोजना में यदि कोई अतिरिक्त विस्तार /परिवर्तन

किया जावेगा तो उसके लिये पुनः पर्यावरणीय अनुमति नये तरीके से ली जावेगी।

14. स्वीकृत क्षेत्र के चारों तरफ डार-फेरिंग लगाये जाने उपरान्त खनन कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।


**सामान्य शर्तें :-**

1. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीकी वैधानिक अनुमति प्राप्त ब्लास्टर से अथवा वैधानिक अनुमति प्राप्त कर जब जैसी आवश्यक हो, केवल दिन के समय में किया जायेगा। ब्लास्टिंग से संबंधित चारुद, डिटोनेटर या अन्य सामग्री लीज क्षेत्र में संधारित नहीं किया जायेगा।
2. खनन कार्य केवल अनुमोदित माइनिंग प्लान के आधार पर किया जायेगा।
3. प्रभावी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों जैसे जटिल (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा और भारी वाहनों में खनिज का परिवहन करने हेतु सुरक्षित रूप से किया जावेगा।
4. लीज ऐरिया में खनन सक्रियार्थे प्रारम्भ करने के पूर्व क्षेत्र का संयुक्त सीमांकन खनिज एवं राजस्व विभाग के अधीन कार्य किया जायेगा।
5. पट्टेधारक को उक्त परियोजना की खनन सक्रियार्थे हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग एवं अन्य विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्रीय खान सुरक्षा कार्यालय से भी नियमानुसार पूर्ण अनुमति प्राप्त करनी होगी।
6. पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर खनन कार्य के लिए सुरक्षा कार्य किया जावेगा।
7. पट्टेधारी द्वारा नजदीक की वस्तियों से खनन गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए विशेष उपाय किये जायेंगे। खनिज के परिवहन के समय नियमित रूप से सड़कों का रख-रखाव किया जायेगा।
8. खनन कार्य के फलस्वरूप होने वाले मिट्टी का कटाव तथा उसके रोकथाम एवं क्षरण के प्रबंधन के नियंत्रण के लिए समस्त उपाय किये जायेंगे।
9. पट्टेधारी की जिम्मेदारी होगी कि खनन क्षेत्र के चारों तरफ गारलैण्ड ड्रेनेज (नाली) का निर्माण करना होगा, ताकि खनिज क्षेत्र की मिट्टी के कटाव व बहाव से आस-पास के जलीय निकष में जाने से रोका जा सके।
10. पट्टेधारी को खदान क्षेत्र, कचरे के ढेर, खदानों के चारों तरफ की नाली की आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना होगा।

11. खनन के दौरान ऊपरी सतह की मिट्टी एवं अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित कर उसका उपयोग बाद में खनन की समाप्ति पर गड्ढे के भराव में किया जावेगा।
12. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुरूप लीज क्षेत्र में वृक्षासेपण की प्रक्रिया की जावेगी। वनस्पति के स्वजीविका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लीज क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं काटे जायें और यदि आवश्यक हुआ तो इसका पूर्व अनुमति समक्ष प्राधिकारी से ली जानी होगी।
13. स्वनिर्ज परिवहन करने वाले वाहनों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त कवर से ढंककर किया जायेगा। ताकि उसके धूल के कम परिवहन के समय चढ़ न सकें।
14. पट्टेधारी द्वारा खनन कर्मचारियों के लिए स्वस्थता जांच के लिए की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
15. पट्टेधारी द्वारा धूल क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण जैसे माँस्क, जूते आदि उपलब्ध करायेगा और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, सुरक्षा की जानकारी और स्वास्थ्य के पहलुओं की जानकारी प्रदान की जायेगी।
16. पट्टेधारी द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा के लिये स्थल पर औषधालय सुविधाएं उपलब्ध कराया जायेगा।
17. पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकाय पंचायत और नगर निकायों के प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा।
18. पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित रखते हुए पंचायत एवं प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन एवं बदलाव समय-समय पर किया जा सकेगा।
19. पट्टेधारी द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी शर्तों के पालन में विफल होने पर पर्यावरणीय अनुमति समाप्त कर दी जावेगी तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
20. DEIAA द्वारा दी गई पूर्व पर्यावरण अनुमति के आदेश के निरस्तगी के विरुद्ध अपील 30 दिवस के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 की धारा 16 के अंतर्गत की जा सकेगी।
21. DEIAA एवं DEAC की प्रक्रिया का निर्वहन सभी शर्तों के तहत किया गया है। भविष्य में उचित प्रक्रिया का जो भी शुल्क निर्धारण

किया जावेगा। उसे 7 दिनों के अंदर प्रत्यापन कर  
अनियार्य होगा।

23. पट्टेधारी को डिया, डेक द्वारा निर्देशित पर्यावरण सुरक्षा के लिए किये गये उपाये एवं शर्तों के पालन में त्रैमासिक रिपोर्ट की प्रति डिया छतरपुर तथा MOPR0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. पट्टेदार द्वारा प्रति हेक्टेयर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाय एवं पाच वर्ष तक उनका रख-रखाव किया जावे।
25. वृक्षारोपण की योजना वन विभाग के स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी से सलाह लेकर वृक्षारोपण करे।  
आदेश में निहित किसी भी शर्तों का उल्लंघन / खनून कार्य में अनियमितता पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

  
सदस्य सचिव


जिला नगरीय पर्यावरण संग्रहालय  
निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)  
जिला छतरपुर (MOPR0)

छतरपुर, दिनांक 22.01.2017

1808  
प.क्र. .... / DEIAA / 2017  
पत्तिलिपि-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश, पर्यावरण समाघात प्राधिकरण पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 588 दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, नीमिकी तथा खनिज, म.प्र., 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, सिंचाई विभाग एवं अध्यक्ष DEAC, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।

8. वरिष्ठतम् उप प्रभागीय अधिकारी (वन) एवं सदस्य DEAC, जिला चतरपुर की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा), जिला छतरपुर एवं जियोलोजी विभाग के नागविदिष्ट प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर/नागविदिष्ट प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ। कार्यभालन मंत्री, ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग, जिला पंचायत एवं सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, छतरपुर एवं सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
12. वरिष्ठतम् सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग छतरपुर एवं सदस्य DEAC जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।

  
 सदस्य प्रतिनिधि  
 जिला स्तरीय पर्यावरण समीक्षा  
 निर्धारण प्राधिकरण, (DEIAA)  
 जिला-छतरपुर (म.प्र.)



**CONSENT ORDER**

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clay  
SAGAR  
SAGAR  
Tele : 07582- 263774

RED-SMALL	CCA-Renewal	VALIDITY (A/W): 14.05.2022	CONSENT NO: ***	PCB ID: 112754
-----------	-------------	----------------------------	-----------------	----------------

To,  
The Occupier,  
Dg Minerals Pvt. Ltd. (Mining Unit) - 3.450 Hact.,  
Khasra No. 593 Area- 3.450 hac.,  
Vill- Lavkushnagar, Teh- Lavkushnagar, Distt- Chhatarpur,

Subject: Grant of Consent renewal under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981  
Ref: Your Consent renewal Application Receipt No. 757187 Dt. 22/01/2019.

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **14.05.2022**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

**SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-**

- a. Location: Khasra No. 593 Area- 3.450 hac., Vill- Lavkushnagar, Teh- Lavkushnagar, Distt- Chhatarpur.
- b. Lease Valid Up To: 14.05.2047
- c. Product & Production Capacity:

Product	CCA Qty
Granite Block	2680 M <sup>3</sup> /Y (Two Thousand Six Hundred Eighty Cubic Meter Per Year)

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to **14.05.2022** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

**Enclosures:-**

- \* Conditions under Water Act
- \* Conditions under Air Act
- \* General conditions

*e-Signing from UIDAI*  
**Sign**  
Digital Sign with Address

e-Signed On 20/02/2019 22:15:30  
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server).  
TPAV # 5A9985FSSH

**VIRENDRA SAHAI RAI**  
Regional Officer



**CONSENT ORDER**

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board City  
SAGAR  
SAGAR  
Tele : 07582- 263774

**CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-**

1. The daily quantity of sewage shall not exceed 0.200 KL/day

**2. Trade Effluent Treatment:-**

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	6.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	50 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
Fecal coliform	Not exceed	1000MPN/100mg

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 1.500	WWG : 0.200	Water Source	Remark
1	Spray in Mines	1.000	0.500	Tankers	

4. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

5. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

6. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

**7. Compilation of Monitoring-**

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

**8. Recording of Monitoring-**

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis



## CONSENT ORDER

State Pollution Control Board  
Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clwy

SAGAR  
SAGAR

Tele : 07582- 263774

- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

### 9. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

### 10. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

### 11. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

### 12. Disposal of Collected Solid-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazd & other waste Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

### 13. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

### 14. Prohibition of By pass system-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

15. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

**Additional Water condition:- (if any) :-**



## Consent Order

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clay

SAGAR

SAGAR

Tele : 07582- 263774

### **CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-**

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
  - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (PM10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  24 hrs. basis)
  - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (PM2.5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  24 hrs. basis)
  - c. Sulphur Dioxide [SO<sub>2</sub>] (24 hrs. Basis) - 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
  - d. Nitrogen Oxides [NO<sub>x</sub>] (24 hrs. Basis) - 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
  - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
8. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation atleast in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 4X4 meter within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in additional condition

### **Additional Air condition:- (if any) :-**

1. Extensive tree plantation shall be done on both side of Mineral transportation roads, haul roads and around open mining lease area. The tree plantation shall be carried out in phase manner preferably with local species.
2. The mine management shall stack the over burden/block of the granite dump at proper place.
3. Mine management shall be constructed garland drain with septic tank in mining area.
4. Mine management shall be made asphalt road in mining activity area as per submitted affidavit
5. Mine management has been regularly maintain fencing in mine area to avoid any accidental/nusence activity.



**CONSENT UNDER**

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clony  
SAGAR  
SAGAR  
Tele : 07582- 263774

**GENERAL CONDITIONS:**

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

**Non Hazardous Solid wastes:-**

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
- (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
- (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

**Additional condition:- (if any) :-**

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.



Consent Order

Pt. Deen Dayal Nagar, Housing Board Clony  
SAGAR  
SAGAR  
Tele: 07582-263774

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

(Regional Officer)

 Digitally signed with Aadhaar

e-Signed On 20/02/2019 22:15:30  
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)  
TPAV # 5A9985F5SH

  
VIRENDRA SAHAI RAI  
Regional Officer

कार्यालय नगर परिषद लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0  
प्रेसीडेन्ट इन कार्डिनल बेडक कार्यवाही दिनांक 12.04.2017


प्रस्ताव क्रमांक-02

सूखनन पट्टा खनिज घेनाइट

के क्षेत्र को सर्वसम्पत्ति के

प्रदान के लिए

सर्वप्रतिलिपि

  
मुख्य अधिकारी

प्रकरण प्रस्तुत हुआ अवलोकन किया गया।  
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर  
म0प्र0 के पत्र क्रं 2070/खनिज/2017 दिनांक  
02.01.2017 के द्वारा क्षेत्र जिला म0प्र0  
आवेदक में डी.जी. गिनरल्स प्रा0लि0 158 थर्ड  
फ्लोर जोन-II एम.पी. नगर भोपाल द्वारा ग्राम  
लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं.  
523 के कुल रकबा 3.450 हे० क्षेत्र पर सूखनन  
पट्टा खनिज घेनाइट से आवेदन प्रस्तुत किया  
गया है। जिस सारा में विकास का उचित  
गया है।

आवेदित क्षेत्र को घेनाइट सूखनन पट्टा  
दिये जाने हेतु वादा अधिगत सर्वसम्पत्ति से प्रदान  
किया जाता है।

हस्ता/अपठनीय  
अध्यक्ष  
नगर परिषद लवकुशनगर



**MP Forest  
Department**

**कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म.प्र.**  
जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎ 07682-245316 (O.), 245316 (Fax)  
E-mail: [dfchhatarpur@mpforest.org](mailto:dfchhatarpur@mpforest.org)

क्रमांक/मा.चि./2015/245316  
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 31/12/15

कलेक्टर, खनिज शाखा,  
जिला छतरपुर म.प्र.


**विषय :-** ग्राम लवकुशानगर तहसील लवकुशानगर के खसरा नं. 593, 2206, 2207 के रकबा 5.000 हे. क्षेत्र खनिज ग्रेनाइट हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन क्रमांक 81 दिनांक 03.10.2015 के संबंध में अनापत्ति प्रम पत्र अनिमत दिये जाने बाबत।

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्र./1339/खनिज दिनांक 31.10.2015  
—00—

संदर्भित पत्र से आवेदक मे. डी.जी. मिनरल्स लि. 158 जोन-2 एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा लवकुशानगर तहसील लवकुशानगर के खसरा नं. 593, 2206, 2207 के रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन के संबंध में इस कार्यालय से प्रतिवेदन अनिमत चाहा है। वन परिक्षेत्राधिकारी लवकुशानगर द्वारा मौका निरीक्षण कराकर पत्र क्रमांक/911 दिनांक 19.12.2015 से उप मंडलाधिकारी छतरपुर के पत्र क्रमांक/1283 दिनांक 30.12.2015 से दिए प्रतिवेदन के आधार पर बिदुवार जानकारी निम्न है :-

क्र.	निर्धारित बिदु	जानकारी विवरण (यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण दें)
1	आवेदित क्षेत्र वन भूमि तो नहीं है।	आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है।
2	यदि आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है, तो आवेदित क्षेत्र से वन भूमि वन सीमा कितनी दूरी पर है।	आवेदित क्षेत्र वन सीमांतगत नहीं है तथा वन कक्ष क्रमांक पी. 7 710 मीटर की दूरी पर है। स्थल के जियो-कोऑर्डिनेट्स निम्न हैं 25°08'36.7", 79°59'42.6" 25°08'38.4", 79°59'44.8" 25°08'39.4", 79°59'44.6" 25°08'39.2", 79°59'45.3"
3	आवेदित क्षेत्र यदि वन भूमि है तो कम्पार्टमेंट की जानकारी एवं वन भूमि का प्रकार क्या है।	आवेदित क्षेत्र वन भूमि न होने से आवश्यक नहीं है।
4	आवेदित क्षेत्र यदि वन भूमि से 250 मीटर की दूरी के अंतर्गत है तो आवेदित क्षेत्र स्वीकृत किए जाने/नहीं किए जाने संबंधी स्पष्ट अनिमत दें, कि प्रकरण राज्य स्तरीय सन्निति के समक्ष भेजे जाने योग्य है/अथवा नहीं।	आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर से कम दूरी पर स्थित तो के कारण आवश्यक नहीं है। निकटतम वन सीमा से दूरी 710 है।
5	आवेदित क्षेत्र में खनिज रियायत स्वीकृत किए जाने पर आपत्ति/अनापत्ति संबंधी स्पष्ट अनिमत प्रदान करें।	उपरोक्त बिदु क्र.-1 से 4 के अनुसार अनुशासित। म.प्र. शासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/18-10-सात/2-ए/90 दिनांक 13.1 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजसख छोटे/बड़े जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अ 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव बनेगा।

आवेदित क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व की बकर सीमा से 31 कि.मी. की दूरी पर केंद्र घड़ियाल अभयारण्य की 20.5 कि.मी. की दूरी पर तथा पन्ना बायोस्फियर रिजर्व सीमा से 18.5 कि.मी. की दूरी पर एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से 13.4 कि.मी. की दूरी पर है।


  
वन संरक्षक

सा. वन मण्डल छतरपुर म.प्र.

छतरपुर, दिनांक

पृ.क्रमांक/मा.चि./2015/

प्रतिलिपि :- उप वन मंडलाधिकारी, छतरपुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, लवकुशानगर को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित। स्वीकृति मिलने के पश्चात कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रकरण में दी गई जानकारी के अनुसार उक्त स्वीकृति हुई है। विसंगति पाये जाने पर तुरंत संबंधित को सूचित करें।

  
वन संरक्षक

सा. वन मण्डल छतरपुर म.प्र.

क्रमांक 83/बी121/17-18

महानगरपालिका तहसील चतुर्दश नगर जिला चतरपुर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 83/बी121/17-18

प्रवीण कुमार रिहारिया नौदु पिता ब्रजभूषण रिहारिया  
मिवासी - जलकुश नगर तहसील जलकुश नगर जिला चतरपुर (म०प्र०) - अनावेदक

बनाम

डी.जी. मिनरल्स कम्पनी लिमिटेड जलकुश नगर निवासी जलकुश नगर  
तहसील जलकुश नगर जिला चतरपुर (म०प्र०) - अनावेदक


महल - आदेश दिनांक 16.2.2018


16/02/2018

प्रकरण प्रस्तुत  
प्रकरण का अवलोकन किया गया।  
यह प्रकरण आज दिनांक को अनावेदक की तरफ से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.02.2018 के निराकरण हेतु नियत है।  
उक्त आवेदन पत्र एवं आवेदकगण की तरफ से प्रस्तुत जबाब व पटवारी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर उभय पक्ष द्वारा व्यक्त किये गये तर्कों का-मनन किया। प्रकरण के परीक्षण उपरान्त में पाता है कि अनावेदक डी.जी.मिनरल्स प्रा. लि. नोपाल म०प्र० के नाम से कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला छतरपुर म०प्र० के आदेश क्रमांक 1152/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मीजा जलकुश नगर की भूमि खसरा नं० 593 में से रकबा 2.300 हे० एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर म०प्र० के आदेश क्रमांक 1154/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मीजा जलकुश नगर की भूमि खसरा नं० 593 में से रकबा 3.450 हे० क्षेत्रफल पर खनिज ग्रेनाइट हेतु अवधि 30 वर्ष के लिये सैद्धान्तिक सहमति जारी की जाकर म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियमों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पर्यावरण सम्मति में दर्शाय गये तथ्यों के आधार पर कुछ निर्धारित शर्तों के अनुसार 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनी पट्टा स्वीकृत किया गया है।  
अनावेदक को क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र०पो०को०बो० सागर के कोनसेक्ट आदेश क्रमांक ए०डब्ल्यू० 51044 दिनांक 11.01.2018 द्वारा वैधता दिनांक 14.05.2018 तक के लिये सर्वे नं० 593 में से रकबा 2.300 हे० एवं क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र०पो०को०बो० सागर के कोनसेक्ट आदेश क्रमांक ए०डब्ल्यू० 50219 दिनांक 13.12.2017 द्वारा वैधता दिनांक 14.05.2018 तक के लिये सर्वे नं० 593 में से रकबा 3.450 हे० क्षेत्र में ग्रेनाइट खनिज उत्खन्न के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है।  
अनावेदक को कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला छतरपुर म०प्र० के आदेश क्रमांक

1. अनावेदक का प्रथम पत्र दिनांक 19/2/18
2. अनावेदक को उपस्थित होने का आदेश दिनांक 28/2/18
3. अनावेदक के उत्तर दिनांक 28/2/18
4. अनावेदक का उत्तर दिनांक 19/2/18
5. अनावेदक के उत्तर दिनांक 19/2/18
6. अनावेदक के उत्तर दिनांक 19/2/18
7. अनावेदक के उत्तर दिनांक 19/2/18
8. अनावेदक के उत्तर दिनांक 19/2/18
9. अनावेदक के उत्तर दिनांक 19/2/18
10. अनावेदक के उत्तर दिनांक 19/2/18

792/18  
सत्य प्रमाणित  
प्रतिनिधिकार  
तह० जलकुश नगर, चतरपुर





1882/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 27.07.2017 के द्वारा मौजा लवकुशनगर की भूमि खसरा नं० 593 में से रकबा 2.300 हे० एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर म०प्र० के आदेश क्रमांक 1882/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मौजा लवकुशनगर की भूमि खसरा नं० 593 में से रकबा 3.450 हे० क्षेत्रफल पर खनिज ग्रेनाइट हेतु शेष अवधि दिनांक 14.05.2047 तक के लिये म०प्र० गौण नियम 1996 के नियमों एवं समय समय पर जारी निर्देशों एवं संसोधित नियमों तथा अन्य नियमों एवं स्वीकृत आदेश तथा अनुबंध पत्र की गिहित शर्तों का पालन करने के शर्त पर म०प्र०रा० संहिता 1959 की धारा 247(6) के तहत भू० प्रदेश की अनुमति प्रदान की गई है ।

पटवारी से मौका पंचनामा सहित प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.02.2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक द्वारा ग्रेनाइट पत्थर उत्खनन के लिये जो पहाड़ी क्षेत्र की साफ सफाई कर रास्ता मार्ग बनाया जा रहा है उस दौरान मौके पर कोई भी जंगली जानवर बन्दर व पशु पक्षी मृत्य नहीं हुये है एवं डिगलाज माता का स्थान उत्खनि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर होकर इसमें कोई नुकसानी नहीं हुआ है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की साफ सफाई एवं रास्ता निर्माण के दौरान कुछ झाड़ी शंखार जैसे कघई व पलास, धिल्ला रिन्डा, सूयबूल आदि की झाड़ियों नष्ट हुई है । जो मौके पर पड़ी हुई है । पटवारी ने मौके पर 362 नग झाड़ी शंखार की उक्त जलाक लकड़ी मौके से जपती में ली जाकर कंपनी मैनेजर श्री विनय गौतम के सुपुर्दगी में दी गई है । जिस संबंध में अनावेदक के विरुद्ध पृथक से कार्यवाही प्रचलन में ली जा रही है । लेकिन अनावेदक द्वारा उत्खनि क्षेत्र में किये जा रहे कार्य के दौरान कोई वृक्ष, बड़ा पेड़ नष्ट नहीं हुआ है । तथा मौके पर आम, जामुन, इमली के फलदार पेड़ एवं सागोन, महुआ आदि ईमारती लकड़ी के कोई पेड़ मौजूद नहीं है । बम्बरवेनी माता का मंदिर उक्त स्वीकृत उत्खनन क्षेत्र से करीब 1 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । जो उत्खनि कार्य से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है । बम्बरवेनी माता मंदिर से आमजन की भावनाये जुड़ी होकर यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा । जिस

नकल नैपार की मुर्चे  
19/2/18

23  
P-7-03  
मिलानुशिल  
19/2/18

सत्य प्र. सिद्धि  
02



संबंध में स्थानीय लोगों को अवगत करा दिया गया है ।  
 उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनावेदक के नाम से ग्रेनाइट खनिज का उत्खनि पट्टा स्वीकृत हुआ होकर आवेदित क्षेत्र में अनावेदक को राज्य शासन द्वारा भू प्रवेश की विधिवत् अनुमति प्रदाय की गई है । तथा क्षेत्रीय अधिकारी ग०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा पर्यावरण की स्वीकृति प्रदान की गई होकर उत्खनि क्षेत्र में कोई जंगली जानवर बन्दर पशु, पक्षी को नुकसानी नहीं हुई होकर हिमलाज माता के मंदिर को भी नुकसानी नहीं हुई है तथा ग्रेनाइट पत्थर उत्खनि का कार्य बंद होने से राज्य शासन को राजस्व की हानि हो रही है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2018 को स्थिर रखा जाना उचित नहीं है ।

अतः अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2018 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 58/ प्रवा.तह./2018 दिनांक 02.02.2018 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है । तथा झाड़ू झंखार नष्ट किये जाने के संबंध में प्रकरण अनावेदक जबाब हेतु नियत किया जाता है ।

*Verbal*  
 22-2-18  
*Py*  
 10+2  
 22/2/2018

C.F.  
 22-2-2018

16-2-2018  
 तहसीलदार  
 000 तहसीलदार  
 तहसील सागर

गणेश तैयार (सी.ग.)  
 19/2/18

मिलन शिवा  
 19/2/18

सत्य प्रतिलिपि  
 प्रतिलिपिकार  
 30 लक्ष्मणगर, धबरापुर



68  
149/17

Page-3

पंजी 76/15

15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म0प्र0)

छतरपुर दिनांक 15/02/2016

-: आदेश :-

Annexure/3

क्रमांक 213 / खनिज / 2016, मे0 डी.जी. स्टोन्स लि., 158 जोन II, एम.

पी. नगर भोपाल द्वारा ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नम्बर 593, 2206, 2207 के रकबा 43.264 हे0 क्षेत्र पर ग्रेनाइट खनिज पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.09.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन संरक्षक सागान्य वनमण्डल छतरपुर, तहसीलदार लवकुशनगर, प्रभारी खनिज निरीक्षक, मानचित्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम लवकुशनगर के खसरा नम्बर 593 के रकबा 6.000 हे0 ग्रेनाइट खनिज पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु क्षेत्र उपलब्ध पाया गया।

आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

1. खनिज का नाम :- ग्रेनाइट
2. अवधि :- दो वर्ष
3. भू-परिमाण :- थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हों तो।
4. खनिज चकाया :- अनुबंध निष्पादन के पूर्व आवेदक के ऊपर कोई खनिज चकाया नहीं होना चाहिए।
5. प्रदूषण / पर्यावरण :- प्रदूषण की अनुमति के पूर्व अधिनियम / नियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत आवश्यक होने पर वांछित अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
6. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत :- यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।
7. ग्रेनाइट संरक्षण एवं नियम 1999 :- इस नियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हों तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति दिनांक से 1 माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुए नियमों के अधीन पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलंब का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति का यह आदेश प्रतिरहित (Revoke) समझा जाएगा।

आदेश (कलेक्टर द्वारा स्वीकृत)

25/02/2016

//2//

पृ० क्रमांक 213 / खनिज / 2016  
प्रतिलिपि :-

छतरपुर दिनांक 15 / 02 / 2016

1. संचालक भौतिकी तथा खनिकर्म म०प्र० भोपाल ।
2. वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल छतरपुर ।
3. अनुविभागीय अधिकारी लवकुशानगर ।
4. एचसीलदार लवकुशानगर ।
5. प्रगारी खनि निरीक्षक छतरपुर ।
6. मे० डी.जी. स्टोन्स लि., 158 जोन II, एम.पी. नगर भोपाल ।

मूल अगिलेख से नकल तैयार की।

सहायक खनि अधिकारी

ब्रास्ते कलेक्टर छतरपुर (म०प्र०)

Rogay

25/2

सहायक खनि अधिकारी

25/2

सहायक खनि अधिकारी

कलेक्टर कार्यालय

जिला छतरपुर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म०प्र०)

क्रमांक 1153/खनिज/2017

छतरपुर दिनांक 21/04/2017

-: आदेश :-

आवेदक मे० डी.जी. स्टोन्स लि०, 158 थर्ड फ्लोर जोन II एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०) के पक्ष में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 510/खनिज/2017 दिनांक 04.03.2017 से ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं० 593 के रकबा 6.000 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु अधि 30 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति जारी की जाकर अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने उपरांत उत्खनि पट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया था।

आवेदक द्वारा दिनांक 07.04.2017 को अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत कर प्रकरण में अधिम कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के पूर्ण परीक्षण उपरांत म०प्र० गीण खनिज नियम 1996 के नियमों के अनुसार प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया जायेगा। आधार पर निम्नानुसार निर्धारित शर्तों के अनुसार 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

1. आवेदक का नाम :- मे० डी.जी. स्टोन्स लि०, 158 थर्ड फ्लोर जोन II एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०)
2. स्वीकृत क्षेत्र :- ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर खसरा नं० 593 रकबा 6.000 हे.
3. खनिज का नाम :- ग्रेनाइट
4. उत्खनि पट्टे की अवधि :- 30 वर्ष
5. भू-परिमाण :- थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
6. खनिज बकाया :- अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज बकाया तो नहीं है।
7. ग्रेनाइट संरक्षण एवं विनियमन नियम 1999 :- इस नियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. भू-प्रवेश :- आवेदक को भू-प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व पर्यावरणीय सम्मति प्रस्तुत करना होगी।

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हों तो उत्खनि पट्टा स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहाँ उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनि पट्टा मंजूर का यह आदेश प्रतिसंहत (Revoke) समझा जावेगा।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

सहायक जिला अधिकारी  
खनिज शाखा  
जिला कलेक्टर, छतरपुर (म०प्र०)

//2//


पृ० क्रमांक 1153/खनिज/2017

छतरपुर दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि :-

1. संचालक भौगिकी तथा खनिकर्म म०प्र० भोपाल।
2. वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल छतरपुर।
3. अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर।
4. तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर।
5. खनि निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक (खनिज)/खनि सर्वेयर छतरपुर।
- ✓ 8. मे० डी.जी. स्टोन्स लि०, 158 थर्ड फ्लोर जोन II एम.पी. नगर भोपाल (म०प्र०)।


को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला छतरपुर

कार्यालय नगर परिषद लवकुशनगर जिला छतरपुर M0प्र0  
प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल बैठक कार्यवाही दिनांक 12.04.2017

प्रस्ताव क्रमांक-03

उत्खनन पट्टा खनिज ग्रेनाइट  
हेतु चाहे गये अभिमत के  
संबंध में विचार।

सत्यप्रतिलिपि  
  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद लवकुशनगर

प्रकरण प्रस्तुत हुआ अवलोकन किया गया।  
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर  
M0प्र0 के पत्र क्र० 2069/खनिज/2017 दिनांक  
02.01.2017 के द्वारा लेख किया गया है कि  
आवेदक मे डी.जी. स्टेप्स लि० 158 थर्ड फ्लोर  
जोन-II एम.पी. नगर भोपाल द्वारा ग्राम  
लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं.  
593 के कुल रकबा 6.000 हे० क्षेत्रपर उत्खनन  
पट्टा खनिज ग्रेनाइट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया  
गया है। जिस संबंध में निकाय का अभिमत चाहा  
गया है।

आवेदित क्षेत्र को ग्रेनाइट उत्खनन पट्टा  
दिये जाने हेतु चाहा अभिमत सर्वसम्मति से प्रदान  
किया जाता है।

हस्ता०/अपठनीय  
अध्यक्ष  
नगर परिषद लवकुशनगर



**MP Forest  
Department**

**कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म.प्र.**  
जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎ 07682-245316 (O.), 245316 (Fax)  
E-mail: [dfochhatarpur@mpforest.org](mailto:dfochhatarpur@mpforest.org)

क्रमांक/मा.वि./2015/2660  
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 31/12/15

कलेक्टर, खनिज शाखा,  
जिला छतरपुर म0प्र0

**विषय :-** ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं. 593, 2206, 2207 के रकबा 43.264 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन क्रमांक 76 दिनांक 28.09.2015 के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिमत दिये जाने बाबत।

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्र./1354/खनिज दिनांक 02.11.2015

संदर्भित पत्र से आवेदक मे. डी.जी. स्टॉन्स लि0, 158 जोन-2 एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर के खसरा नं. 593, 2206, 2207 के रकबा 43.264 हे. क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन के संबंध में इस कार्यालय से प्रतिवेदन अनिमत चाहा है।

वन परिक्षेत्राधिकारी लवकुशनगर द्वारा मौका निरीक्षण कराकर पत्र क्रमांक/909 दिनांक 19.12.2015 से उप वन मंडलाधिकारी छतरपुर के पत्र क्रमांक/1280 दिनांक 30.12.2015 से दिए प्रतिवेदन के आधार पर दिद्वार जानकारी निम्न है -

क्र.	निर्धारित बिंदु	जानकारी विवरण (यदि हां तो संपूर्ण विवरण दें)
1	आवेदित क्षेत्र वन भूमि तो नहीं है।	आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है।
2	यदि आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है, तो आवेदित क्षेत्र से वन भूमि वन सीमा कितनी दूरी पर है।	आवेदित क्षेत्र वन सीमातर्गत नहीं है तथा वन कक्ष क्रमांक पी. 706 से 710 मीटर की दूरी पर है। स्थल के जियो-कोऑर्डिनेट्स निम्न है :- 25°08'38.9", 79°59'43.9" 25°08'39.2", 79°59'44.8" 25°08'38.5", 79°59'44.4" 25°08'39.3", 79°59'45.0"
3	आवेदित क्षेत्र यदि वन भूमि है तो कम्पाटमेंट की जानकारी एवं वन भूमि का प्रकार क्या है।	आवेदित क्षेत्र वन भूमि न होने से आवश्यक नहीं है।
4	आवेदित क्षेत्र यदि वन भूमि से 250 मीटर की दूरी के अंतर्गत है तो आवेदित क्षेत्र स्वीकृत किए जाने/नहीं किए जाने संबंधी स्पष्ट अभिमत दें, कि प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष भेजे जाने योग्य है/अथवा नहीं।	आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है। निकटतम वन सीमा से दूरी 710 मीटर है।
5	आवेदित क्षेत्र में खनि रियायत स्वीकृत किए जाने पर आपत्ति/अनापत्ति संबंधी स्पष्ट अभिमत प्रदान करें।	उपरोक्त बिंदु क्र.-1 से 4 के अनुसार अनुशासित। म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के शाप क्रमांक/16-10-सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े शांड व जंगल के रूप में अनिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव बनेगा।

आवेदित क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व की बफर सीमा से 31 कि.मी. की दूरी पर, केन घाड़ियाल अनयारण्य की सीमा से 20.5 कि.मी. की दूरी पर तथा पन्ना बायोस्फियर रिजर्व सीमा से 18.5 कि.मी. की दूरी पर एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगभग 13.1 कि.मी. की दूरी पर है।

पू क्रमांक/मा.वि./2015/

प्रतिलिपि :- उप वन मंडलाधिकारी, छतरपुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, लौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। स्वीकृति मिलने के पश्चात कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रकरण में दी गई जानकारी के अनुसार उसी क्षेत्र में स्वीकृति हुई है। विसंगति पाये जाने पर तुरंत संबंधित को सूचित करें।

वन संरक्षक  
सा. वन मंडल छतरपुर म0प्र0

छतरपुर, दिनांक

वन संरक्षक  
सा. वन मंडल छतरपुर म0प्र0

81

महापालिक तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला: छतरपुर (मध्यप्रदेश)

प्रकरण क्रमांक 83/बी121/17-18

प्रवीण कुमार रिहारिया को (ह दिता बुजभूषण रिहारिया)  
मिलामी-लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला वाराणसी (मध्यप्रदेश) - आवेदक

बनाम

डी.जी. मिन्नरल्स कम्पनी लि. लवकुशनगर निवासी लवकुशनगर  
तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) - अनावेदक

महल- आदेश दिनांक 16.2.2018

16/02/2018

प्रकरण प्रस्तुत

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

यह प्रकरण आज दिनांक को अनावेदक की तरफ से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.02.2018 के निराकरण हेतु नियत है।

उक्त आवेदन पत्र एवं आवेदकगण की तरफ से प्रस्तुत जवाब व पटवारी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर उभय पक्ष द्वारा व्यक्त किये गये तर्कों का-मनन किया। प्रकरण के परीक्षण उपरान्त में पाता है कि अनावेदक डी.जी.मिन्नरल्स प्रा. लि. भोपाल म0प्र0 के नाम से कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला छतरपुर म0प्र0 के आदेश क्रमांक 1152/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मीजा लवकुशनगर की भूमि खसरा नं0 593 मे से रकबा 2300 हे0 एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर म0प्र0 के आदेश क्रमांक 1154/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मीजा लवकुशनगर की भूमि खसरा नं0 593 मे से रकबा 3.450 हे0 क्षेत्रफल पर खनिज ग्रनाइड हेतु अवधि 30 वर्ष के लिये सौहार्दिक सहमति जारी की जाकर म0प्र0 गीण खनिज नियम 1996 के नियमों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पर्यावरण सम्मति मे दराय गये तथ्यों के आधार पर कुछ निर्धारित शर्तों के अनुसार 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनी पट्टा स्वीकृत किया गया है।


अनावेदक को क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0पो0को0बो0 सागर के कोनसेवट आदेश क्रमांक ए0डब्ल्यू 51044 दिनांक 11.01.2018 द्वारा वैधता दिनांक 14.05.2019 तक के लिये सर्वे नं0 593 मे से रकबा 2.300 हे0 एवं क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0पो0को0बो0 सागर के कोनसेवट आदेश क्रमांक ए0डब्ल्यू 50219 दिनांक 13.12.2017 द्वारा वैधता दिनांक 14.05.2018 तक के लिये सर्वे नं0 593 मे से रकबा 3.450 हे0 क्षेत्र में ग्रेनाइट खनिज उत्खन्न के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है।


अनावेदक को कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला छतरपुर म0प्र0 के आदेश क्रमांक

792118  
सत्य प्रतिलिपि

प्रतिनिधिकार  
तह0 लवकुशनगर, छतरपुर

1. आवेदन पत्र प्राप्य का दिनांक 19/2/18
2. आवेदक को उपस्थित होने में देर दिनांक 28/2/18
3. आवेदक के उत्तर दिनांक 28/2/18
4. आवेदन पत्र का दिनांक 28/2/18
5. खनिज सौहार्दिक दिनांक 28/2/18
6. अतिरिक्त दिनांक 28/2/18
7. कानून दिनांक 28/2/18
8. प्रत्येक दिनांक को दिनांक 28/2/18
9. प्रत्येक दिनांक को दिनांक 28/2/18
10. प्रत्येक दिनांक को दिनांक 28/2/18





1882/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 27.07.2017 के द्वारा मौजा लवकुशनगर की भूमि खसरा नं० 593 मे से रकबा 2300 हे० एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाख) जिला छतरपुर म०प्र० के आदेश क्रमांक 1882/खनिज/2017 छतरपुर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा मौजा लवकुशनगर की भूमि खसरा नं० 593 मे से रकबा 3,450 हे० क्षेत्रफल पर खनिज ग्रेनाइट हेतु शेष अवधि दिनांक 14.05.2047 तक के लिये म०प्र० गण नियम 1996 के नियमों एवं समय समय पर जारी निर्देशों एवं संशोधित नियमों तथा अन्य नियमों एवं स्वीकृत आदेश तथा अनुबंध पत्र की निहित शर्तों का पालन करने के शर्त पर म०प्र०रा० संहिता 1959 की धारा 247(5) के तहत भू० प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है ।

पटवारी से मौका पंचनामा सहित प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.02.2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक द्वारा ग्रेनाइट पत्थर उत्खनन के लिये जो पहाड़ी क्षेत्र की साफ सफाई कर रास्ता मार्ग बनाया जा रहा है उस दौरान मौके पर कोई भी जंगली जानवर बन्दर व पशु पक्षी मृत्यु नहीं हुये है एवं हिमलाज माता का स्थान उत्खनि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर होकर इसमें कोई नुकसानी नहीं हुआ है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की साफ सफाई एवं रास्ता निर्माण के दौरान कुछ झाड़ी झंखार जैसे कचई व पलास, चिल्ला रिन्डा, सूबबूल आदि की झाड़ियों नष्ट हुई है । जो मौके पर पड़ी हुई है । पटवारी ने मौके पर 302 नव झाड़ी झंखार की उक्त जलाऊ लकड़ी मौके से जप्ती में ली जाकर कंपनी मैनेजर श्री विनय गौतम के सुपुर्दगी में दी गई है । जिस संबंध में अनावेदक के विरुद्ध पृथक से कार्यवाही प्रचलन में ली जा रही है । लेकिन अनावेदक द्वारा उत्खनि क्षेत्र में किये जा रहे कार्य के दौरान कोई वृक्ष, बड़ा पेड़ नष्ट नहीं हुआ है । तथा मौके पर आम, जामुन, हमली के फलदार पेड़ एवं सागौन, महुआ आदि ईमारती लकड़ी के कोई पेड़ मौजूद नहीं है । बम्बरवेनी माता का मंदिर उक्त स्वीकृत उत्खनन क्षेत्र से करीब 1 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । जो उत्खनि कार्य से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है । बम्बरवेनी माता मंदिर से आमजन की भावनायें जुड़ी होकर यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा । जिस

नकदम नैमा की मुर्दे  
19/2/18

१७-०३  
मिलान सिंह  
19/2/18

सत्य प्रसिदि  
02



संबंध में स्थानीय लोगों को अवगत करा दिया गया है ।  
 उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनावेदक के नाम से ग्रेनाइट खनिज का उत्खनि पट्टा स्वीकृत हुआ होकर आवेदित क्षेत्र में अनावेदक को राज्य शासन द्वारा भू प्रवेश की विधिवत् अनुमति प्रदाय की गई है । तथा क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा पर्यावरण की स्वीकृति प्रदान की गई होकर उत्खनि क्षेत्र में कोई जंगली जानवर बन्दर पशु पक्षी को नुकसानी नहीं हुई होकर हिगलाज माता के मंदिर को भी नुकसानी नहीं हुई है तथा ग्रेनाइट पत्थर उत्खनि का कार्य बंद होने से राज्य शासन को राजस्व की हानि हो रही है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2018 को स्थिर रखा जाना उचित नहीं है ।

अतः अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2018 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 58/ प्रवा.तह./2018 दिनांक 02.02.2018 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है । तथा झाड़ झंखार नष्ट किये जाने के संबंध में प्रकरण अनावेदक जबाब हेतु नियत किया जाता है ।

*Verbal*  
22-2-18  
*Pr*

*NO 42*  
22/2/2018

G.F.  
22-2-2018

16-2-2018  
तहसीलदार  
1100 तहसील सागर  
तहसील प्रमुख सागर

गडल तैयार की गई  
*[Signature]*  
19/2/18

मिलान किया  
*[Signature]*  
19/2/18

राज्य प्रतिनिधि  
*[Signature]*  
प्रतिनिधिकार  
30 लक्ष्मणनगर, प्वापुर

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

100

100

OA  
149/17

**Factual report in reference to Hon'ble National Green Tribunal OA No. 149/2017 order dated 03.06.2020 -**

In compliance to Hon'ble NGT OA No. 149/2017 Praveen Richhariya & others V/s state of MP & others order dated 03.06.2020 by principal bench, National Green Tribunal New Delhi, following committee inspected the site on 18.06.2020 of respondent No. 4 as per direction of Hon'ble NGT -

1. Additional Collector district Chhatarpur as representative of collector Chhatarpur.
2. Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Sagar
3. Mining Officer, Chhatarpur (M.P.)

The Facts and status of Granite mine operating by respondent no. 4 M/s D.G. Minerals Pvt. Ltd. is as follows -

- District Collector Chhatarpur has granted permission to respondent No. 4 M/s D.G. Minerals for prospecting survey of Granite Minerals as prospecting lease for 2 years in Khasra No. 593 area 2.30 Hac. Lovkushnagar, Teh. Lovkushnagar Distt- Chhatarpur M.P. Vide order no. 211/Khanij/2016 Dt. 15.02.2016 and Khasra no. 593, area 3.45 Hact. Vide order no. 212/khanij/2016 Dt. 15.02.2016.
- District Collector has granted permission to respondent No. 4 M/s D.G. Stones Ltd. for prospecting survey of Granite Minerals in Khasra No. 593 area 6.00 Hac. Order no. 213/khanij/2016 Dt. 15.02.2016.
- Total area of khasra no. 593 is 41.185 hectares is mostly hillock and rock area and contains granite minerals. After getting NOC from Forest department, Nagar Panchayat, revenue deptt. total 11.75 Hectares area is sanctioned for mining of granite and 03 lease were approved for 30 years of area 2.30 hectares, 3.450 hectares and 6.0 hectares. Out of these 3 leases, only 02 are operational at present after necessary permission.

- Mine lease of 2.30 hectares and 3.450 hectares are allotted by district Collector Chhatarpur to M/s D.G. Minerals Pvt. Ltd. Bhopal vide order no. 1152/khanij/2017 dated 21.04.2017 and order no. 1154/khanij/2017 dated 21.04.2017. Mining plan for these mines is approved by director M.P. geology & Mining department of MP as per minor mineral rules 1996. Prior environmental clearance for these 02 mines is granted from DEIAA Chhatarpur vide letter no. 1809 dated 22.07.2017 and 1808 dated 22.07.2017. Consent under Air Act 1981 and Water Act 1974 is also obtained for these 02 mines from M.P. Pollution Control Board, Regional Office, Sagar vide letter no. 14907 dated 26.02.2019 for production capacity -2740 CUM/year valid up to 14.05.2022 and letter no. 14897 dated 20.02.2019 for production capacity - 2680 CUM/year valid up to 14.05.2022.
- The other mining lease of 6.0 hectares is allotted by district Collector Chhatarpur to M/s D.G. Minerals Stones Ltd., M.P. Nagar Bhopal vide order no. 1153 dated 21.04.2017 for 30 years is not operational at present. Mining plan for the same is approved by Director, department of Geology & Mining on 03.04.2017. Prior environment clearance for the mine is not granted till date. Project proponent has submitted application for grant of EC to State Environment Impact Assessment Authority, Bhopal (M.P.). Consent from M.P. Pollution Control Board under Air and Water Acts is also not obtained. Mining activity in this mine is not yet started.
- Committee observed mining activity in northern part of 3.45 hectares mine lease and 2.3 hectares of mine. Project proponent has constructed protection wall only in western side of mine and wire fencing all around the mine. Wire fencing is damaged in two sides. Garland drain is also constructed around the mine to curtail any stone going outside the mine during mining activity for safety of surrounding area. But it is filled with debris. It Should be cleaned. Protection wall should be constructed around all sides of the mine for safety and protection of surrounding area.


- Khasra No. 593 is 41.185 Hectares is mostly hillock area and mining activity is only In 5.75 hectares. Some establishments like Water tank, Govt. School, College, 35-40 residential establishments are there in the remaining part of this khasra no. 593, which are more than 100 Meter away from mine side and fulfill the provisions of M.P. Minor Mineral rules 1996. Densely populated area of Lovkushnagar is more than 300 Meter away from mine side.
- Bambarbeny Mata temple is situated in other hillock which is approx 700 M away from mine side.
- The mine site is rocky area and growth of shrubs is developed, no plantation is observed during visit. No tree cutting was reported which is also mentioned in order of Tehsildar Lovkushnagar dated 22.02.2018 in similar complain.
- Mining activity involves use of simple machine for cutting granite blocks and do not have major source of pollution.
- Mine management has obtained necessary permission form different departments for operating 2 mine leases of area 2.3 hectares and 3.45 hectares. The mining in lease of 6.0 hectares is still not started till date.

**Recommendation:**


Following recommendations is made to improve safety measures and environment of the area:

- Mine management should construct protection wall in remaining 3 sides of mine for safety of area.
- Mine management should repair damaged wire fencing around mine.
- Mine management should regularly clean garland drain which is filled with debris.

Date: 14.07.2020

  
Regional Officer  
M.P. Pollution Control Board  
Sagar

  
Mining Officer  
District Chhatarpur

  
Additional District Magistrate  
District Chhatarpur

Enclosures:

1. Copy of Prospecting Survey Lease from District Collector Chhatarpur to 3 mine leases dated 15/02/2016.
2. Copy of mining lease from District Collector Chhatarpur (M.P.) for 3 mine leases dated 21/04/2017.
3. Copy of Prior Environmental Clearance from DEIAA Chhatarpur for 2 mine leases dated 22/07/2017.
4. Copy of Consent from M.P. Pollution Control Board, Regional Office Sagar to mines leases dated 20/02/2019 and 26/02/2019.
5. Copy of NOC from Municipal body Nagar parishad lavkushnagarDist-Chhatarpur.
6. Copy of NOC from M.P. Forest department.
7. Copy of Order of Tehsildar Lavkushnagar dated 22/02/2018.